महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय, आजमगढ़

Maharaja Suhel Dev University, Azamgarh

पत्रांकः 9125/कु०का०/2026

दिनांकः 14 जुलाई, 2026

भर्ती विज्ञप्ति/नोटिस

मा0 कुलपति जी के आदेश दिनांक 14.07.2026 के अनुपालन में विश्वविद्यालय के भर्ती विज्ञप्ति/नोटिस सं0– 9055/कु0का0/2026 दिनांक 07.07.2026 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता हैः–

विश्वविद्यालय के विज्ञापन संख्या–03/2025 दिनांक 25.03.2025 (शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती हेतु) के संबंध में प्रकाशित कोरिजेण्डम पत्रांक–9002/कु0का0/2026 दिनांक 30.06.2026 के क्रम में सर्वसंबंधित को सूचित किया जाता है कि उ0प्र0 शासन, कार्मिक अनुभाग–2, लखनऊ के कार्यालय ज्ञाप संख्या–5/2022/18/1/2008/47/का–2/2022, दिनांक 18/04/2022 में दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए प्रावधानित क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था उक्त विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापित प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर लागू है। प्रोफेसर के 25 पद में प्रोफेसर–संस्कृत का 01 पद (अन्य पिछड़ा वर्ग), एसोसिएट प्रोफेसर के 45 पद में एसोसिएट प्रोफेसर–प्रबन्धन एवं व्यवसाय प्रशासन का 01 पद (अनारक्षित) एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 45 पद में असिस्टेंट प्रोफेसर–दृश्यकला एवं एनीमेशन का 01 पद (अनुसूचित जाति) उ0प्र0 के दिव्यांगजन हेतु आरक्षित माना जाए। उत्तर प्रदेश शासन, दिव्यांगजन सशक्तिकरण अनुभाग–3, लखनऊ के पत्र संख्या–3/ 2021/324/2021/65–3–2021–78/99 टी0सी0, दिनांक 30 जुलाई, 2021 संलग्नक के क्रमांक–7, उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत उक्त पद– ओ0ए0, बी0ए0, ओ0एल0, बी0, एल0बी0, डी0, एच0एच0, एल0सी0, डीडब्ल्यू एवं ए0ए0वी0 दिव्यांग श्रेणी हेतु चिन्हित हैं।

उक्त पदों को दिव्यांगजन हेतु आरक्षित/चिन्हित किये जाने पर सम्बन्धित पदों के सापेक्ष प्रभावित अभ्यर्थियों के आवेदन शुल्क वापस किया जाएगा।

इसके साथ ही क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत आने वाली श्रेणियों यथा–उ०प्र० के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित/महिला अभ्यर्थी/उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व सैनिकों/उ०प्र० के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी विद्यमान शासकीय नियमों के अनुसार रिक्तियां बनने पर आरक्षण अनुमन्य होगा।

14/7/26

कुलसचिव

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव–कुलपति, माननीय कुलपति जी के सूचनार्थ।
2. वित्त अधिकारी/परीक्षा नियंत्रक, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़।
3. समस्त सहायक कुलसचिव, महाराजा सुहेल देव विश्वविद्यालय आजमगढ़।
4. समस्त दैनिक समाचार–पत्रों को इस आशय से प्रेषित कि उक्त समाचार को जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।
5. प्रभारी, विश्वविद्यालय वेबसाइट, इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति/नोटिस को वेबसाइट पर अपलोड/प्रदर्शित करने का कष्ट करें।
6. सम्बन्धित पत्रावली।

कुलसचिव